12 Saal Vishwas ke, Vikas ke, Jan-kalyan ke

BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

राष्ट्र की सुरक्षा

आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता के 12 वर्ष

19 जून, 2026

*पिछले 12 वर्षों में, भारत के व्यापक आतंकवाद-विरोधी बदलाव, आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता के दृढ़ दृष्टिकोण को दिखाते हैं। मजबूत कानूनी ढाँचे, संस्थागत सुधार और खुफिया जानकारी के एकीकरण ने केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच इंटर-एजेंसी समन्वय को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई, आतंकवाद के फंडिंग नेटवर्क का खात्मा और पुलिस एवं सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण ने राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ किया है। साइबर सुरक्षा क्षमताओं के विस्तार ने उभरते डिजिटल खतरों के विरुद्ध तैयारियों को और मजबूत किया है। इन निरंतर प्रयासों ने आंतरिक सुरक्षा **संकेतकों** में उल्लेखनीय सुधार लाने में योगदान दिया है, जिनमें आतंकी घटनाओं में कमी, नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच मृत्यु संख्या में कमी और सार्वजनिक सुरक्षा, विकास परिणामों और राष्ट्रीय **लचीलेपन** में सुधार शामिल हैं।*

ठोस निर्णय और निर्णायक कार्यों का एक दशक

पिछले बारह वर्षों में, भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में सबसे व्यापक बदलावों में से एक को शुरू किया है। सरकार ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसने प्रतिक्रियात्मक उपायों से आगे बढ़कर एक सक्रिय, समग्र सरकारी दृष्टिकोण विकसित किया। आतंकवाद को वित्तपोषित करने वाले नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। जांच एजेंसियों को सशक्त बनाया गया। सीमा निगरानी को मजबूत किया गया। सुरक्षा संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाया गया। राजनयिक पहल ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को बुलंद किया और आतंकवाद को प्रायोजित करने की वैश्विक कीमत को उजागर किया।

बारह वर्षों के निरंतर प्रयासों से एक ऐसा परिवर्तन आया है जिसे तीन परस्पर जुड़े परिणामों के माध्यम से समझा जा सकता है। **विश्वास** इसका उद्देश्य निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से जनता का विश्वास बहाल करना है। **विकास** इसका उद्देश्य एक मजबूत कानूनी और संस्थागत सुरक्षा संरचना का विकास करना है। **जन-कल्याण** इसका उद्देश्य एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है जिसमें विकास, गरिमा और सामान्य जीवन फल-फूल सके।

ये परिणाम आकस्मिक नहीं थे। ये कूटनीति की सीमाएँ समाप्त होने पर सैन्य सटीकता के साथ कार्रवाई करने की तत्परता के फलस्वरूप प्राप्त हुए। ये ऐतिहासिक विधायी सुधारों के माध्यम से प्राप्त हुए जिन्होंने जाँच एजेंसियों को अधिक प्रभावी उपकरण और व्यापक पहुँच प्रदान की। ये प्रौद्योगिकी-आधारित खुफिया प्लेटफार्मों के माध्यम से प्राप्त हुए जिन्होंने देश के सुरक्षा तंत्र को वास्तविक समय में आपस में जोड़ा। इस अवधि में भारत का आतंकवाद-विरोधी रिकॉर्ड एक ऐसे राष्ट्र को दर्शाता है जिसने आतंकवाद के प्रबंधन से आगे बढ़कर उसे बनाए रखने वाली परिस्थितियों को समाप्त करने की दिशा में

निर्णायक कदम उठाए।

हालांकि, इन सब की शुरुआत बिना किसी पूर्वधारणा के नहीं हुई। मई 2014 में जब सरकार ने सत्ता संभाली, तो उसे दशकों की उपेक्षा, संस्थागत खामियों और कई मोर्चों पर अनसुलझे संघर्षों से ग्रस्त सुरक्षा व्यवस्था विरासत में मिली। विरासत में मिली व्यवस्था को समझना, भविष्य में हासिल की गई व्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक है। सरकार के सामने चुनौतियाँ सामान्य नहीं थीं। वे व्यवस्थागत, एक साथ घटित होने वाली और गंभीर थीं।

चुनौती परिदृश्य

2014 में भारत एक चौराहे पर खड़ा था। आंतरिक सुरक्षा का माहौल एक साथ कई मोर्चों पर बुरी तरह से खंडित था। पिछले दशक में **(2004-2014) के दौरान 7,217 आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गईं।** पिछले चार दशकों में आतंकवाद, विद्रोह और उग्रवाद के कारण लगभग 92,000 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी। मौजूदा चुनौतियों के लिए क्रमिक सुधारों की नहीं, बल्कि व्यवस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता थी।

नियंत्रण रेखा (LoC) के पार से घुसपैठ **जम्मू और कश्मीर** यह एक लगातार बढ़ती हुई चुनौती रही है। पाकिस्तान की अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी (ISI) लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन सहित नामित आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण, हथियार और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन आतंकी समूहों का इस्तेमाल देश की शांति और स्थिरता को भंग करने के लिए किया जाता है। **2008 के मुंबई हमलों में 166 लोगों की जान गई थी, जिन्हें लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने ISI के सक्रिय समर्थन से अंजाम दिया था।** इस तरह की आतंकी घटनाओं ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की विनाशकारी क्षमता को प्रदर्शित किया, फिर भी एक विश्वसनीय निवारक सिद्धांत के अभाव में जवाबदेही तय करना मुश्किल बना रहा।

साथ ही, कश्मीर **अलगाववादी** सीमा पार से मिलने वाले समर्थन और स्थानीय मोबिलाइजेशन नेटवर्क द्वारा समर्थित इन घटनाओं ने देश में शांति और शासन के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। 2010 से 2014 तक, औसतन हर साल 2,654 संगठित पत्थरबाजी की घटनाएं हुईं। ऑवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) के नेटवर्क, घुसपैठ करने वाले उग्रवादियों को सक्रिय समर्थन प्रदान करते थे। अनुच्छेद 370 के तहत शासित पूर्ववर्ती राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे ने ऐसी संरचनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थीं, जिनसे प्रभावी शासन और सुरक्षा प्रतिक्रिया जटिल हो गई थी।

आतंकी समूह प्रचार, भर्ती, वित्तपोषण और परिचालन समन्वय के लिए सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्म, डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी का भी इस्तेमाल कर रहे थे।

2014 के बाद इस्लामिक स्टेट (ISIS) के वैश्विक उदय ने भारत की सुरक्षा चिंताओं में एक नया आयाम जोड़ दिया। ऑनलाइन कट्टरपंथ और चरमपंथी प्रचार के बढ़ने से भारतीय नागरिकों के बीच भर्ती का खतरा पैदा हो गया और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर स्व-कट्टरपंथियों द्वारा किए जाने वाले कम तीव्रता वाले हमलों का खतरा बढ़ गया। इस बदलते खतरे के परिदृश्य के कारण सुरक्षा एजेंसियों को कट्टरपंथ-विरोधी गतिविधियों, साइबर निगरानी और खुफिया समन्वय में नई क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता पड़ी।

किसी भी लिहाज से, 2014 में विरासत में मिली सुरक्षा स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी। पिछले दशक में हजारों आतंकवादी घटनाएं घटी थीं; जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद का सिलसिला जारी था; उग्रवाद के कारण लोगों की जान जाती रही; और कानूनी ढांचे में व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की क्षमता सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों का अभाव था। इन चुनौतियों की गंभीरता को देखते हुए भारत के सुरक्षा सिद्धांत, संस्थागत क्षमताओं और परिचालन प्रतिक्रिया तंत्र में मौलिक बदलाव की आवश्यकता थी।

भारत की आतंक-विरोधी नीति: आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का नया युग

सत्ता संभालने के पहले दिन से ही सरकार ने आतंकवाद के प्रति **शून्य सहिष्णुता** के एक ही, अटल सिद्धांत का पालन किया। उद्देश्य केवल आतंकी हमलों का जवाब देना ही नहीं था, बल्कि आतंकी तंत्र की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करना था। प्रमुख उपायों में आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ निरंतर कार्यवाही, आतंकी वित्तपोषण पर नकेल कसना, निवारक अभियान, घुसपैठ की रोकथाम, आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत करना, सुरक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण, CASO अभियानों को तेज करना, वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करना, रणनीतिक नाकेबंदी और शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए दिन-रात क्षेत्र पर नियंत्रण शामिल हैं।

बारह वर्षों से अधिक समय में, यह रणनीति चार अलग-अलग स्तंभों पर आधारित होकर आकार लेती गई। पहला स्तंभ निर्मित किया गया **विधायी सशक्तीकरण,** मजबूत आतंकवाद-विरोधी कानूनों, और व्यापक कानूनी सुधारों के माध्यम से। दूसरा स्तंभ **मजबूत संस्थाएँ** खुफिया नेटवर्क और जांच क्षमताएं। तीसरे स्तंभ ने एक सिद्धांत स्थापित किया जो था **सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई** और बेहतर सीमा प्रबंधन। चौथा स्तंभ एक मजबूत बहुपक्षीय और **कूटनीतिक आतंक-विरोधी संरचना** जो आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भारत की स्थिति को मजबूत करे।

ये चारों स्तंभ पूरी तरह से विकसित होकर सामने नहीं आए। इन्हें धीरे-धीरे बनाया गया, परिचालन में परखा गया और अनुभव के माध्यम से परिष्कृत किया गया। 2026 तक, बारह वर्षों के विधायी सुधार, संस्थागत निर्माण, परिचालन सिद्धांत और कूटनीतिक जुड़ाव ने आतंकवाद-विरोधी अभ्यास का एक ऐसा ठोस ढांचा तैयार कर दिया था जिसे संहिताबद्ध किया जा सके। वह संहिताबद्धता जिस रूप में सामने आई उसे कहा गया - **प्रहार:** भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति और रणनीति।

प्रहार नीति पिछले दशक में निर्मित सिद्धांतों का अधिक्रमण नही करती अपितु यह बारह वर्षों के शासन द्वारा स्थापित सिद्धांतों और प्रथाओं को समेकित, व्यवस्थित और औपचारिक सैद्धांतिक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। यह रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया, समग्र सरकारी समन्वय, मानवाधिकार-आधारित प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को एक एकीकृत राष्ट्रीय सिद्धांत में समाहित करती है। ये पिछले बारह वर्षों में व्यवहार में प्रदर्शित सभी चीजों को औपचारिक रूप से व्यक्त करती है।

आगे चारों स्तंभों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण करते हैं। ये सभी मिलकर यह कहानी बयां करते हैं कि कैसे भारत ने प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा नीति से हटकर एक सक्रिय, लचीली और सिद्धांत-आधारित आतंकवाद-विरोधी संरचना की ओर कदम बढ़ाया।

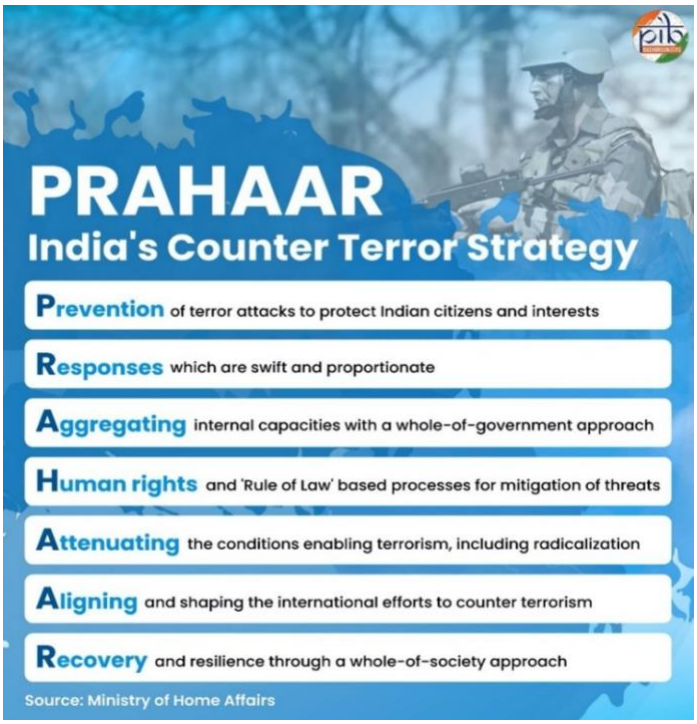

स्तंभ 1: विधायी सशक्तीकरण

आतंकवाद के प्रभावी निवारण के लिए एक मजबूत कानूनी आधार आवश्यक है। 2014 से, सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जांच, अभियोजन और निवारण को मजबूत करने के लिए प्रमुख विधायी सुधार किए हैं। इन उपायों ने सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त बनाया है, आतंकवाद विरोधी कानूनों को सख्त किया है, आतंकवाद के वित्तपोषण को बाधित किया है और उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाया है।

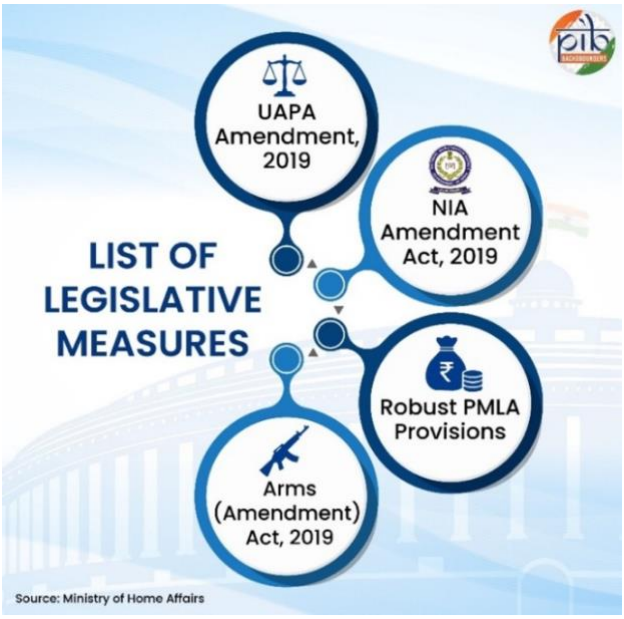

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019

UAPA संशोधन ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके भारत के आतंकवाद-विरोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया है। यह इस दशक का सबसे महत्वपूर्ण विधायी सुधार है, जिसे संसद ने 2 अगस्त 2019 को पारित किया और 14 अगस्त 2019 को अधिसूचित किया।

इस संशोधन ने केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत न केवल संगठनों बल्कि व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया। संशोधन ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को आतंकवाद के मामलों की जांच करने का अधिकार भी दिया। इसने एनआईए के महानिदेशक को आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति की ज़ब्ती या कुर्की को मंजूरी देने में सक्षम बनाया। अधिनियम ने NIA के अधिकार क्षेत्र को मानव तस्करी, नकली मुद्रा, साइबर आतंकवाद और भारत के बाहर किए गए ऐसे अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए विस्तारित किया जो भारतीय हितों को प्रभावित करते हैं।

57 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया. इनमें मसूद अज़हर (JeM), हाफ़िज़ सईद (LeT), ज़की-उर-रहमान लखवी (LeT), वियतनाम इब्राहिम और गुरपतवंत सिंह पन्नून (सिख फ़ॉर जस्टिस), हरदीप सिंह निज्जर (खालिस्तान टाइगर फ़ोर्स), और वाधवा सिंह बब्बर (बब्बर खालसा इंटरनेशनल) सहित प्रमुख खालिस्तानी गुरगे शामिल हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन अधिनियम, 2019

NIA संशोधन अधिनियम में संशोधन करके NIA के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। अब यह एजेंसी भारत के बाहर भारतीय हितों के विरुद्ध किए गए आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने में सक्षम है। इसकी जांच शक्तियों का विस्तार करते हुए इसमें साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थों से जुड़े मानव तस्करी के मामले भी शामिल किए गए हैं। इस संशोधन के तहत NIA के महानिदेशक को एजेंसी द्वारा की जा रही जांच के मामलों में संपत्ति की ज़ब्ती और कुर्की को सीधे मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को सुदृढ़ बनाना

PMLA में लगातार किए गए संशोधनों ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आतंकवाद से जुड़ी परिसंपत्तियों का पता लगाने, उन्हें फ्रीज करने और जब्त करने के लिए अधिक प्रभावी साधन प्रदान किए हैं; जिनमें जम्मू और कश्मीर में हवाला चैनल, खालिस्तानी नेटवर्क द्वारा क्रिप्टोकरेंसी-आधारित वित्तपोषण और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े गैंगस्टर नेटवर्क के माध्यम से भेजी गई जबरन वसूली की रकम शामिल है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 - नया युग

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया। यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। पहली बार आतंकवाद और संगठित अपराध को भी परिभाषित किया गया है और नए आपराधिक कानूनों के तहत कठोर दंड के प्रावधान किए गए हैं।

भारत सरकार (BNS) आतंकवादी कृत्य को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करती है जो घातक हिंसा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विनाश, अपहरण या नकली मुद्रा के प्रचलन जैसे साधनों के माध्यम से भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालता है। यदि आतंकवादी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में कानून में मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अन्य आतंकवादी अपराधों के लिए, इसमें न्यूनतम पांच वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की कठोर सजा का प्रावधान है।

बीएनएस एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए आतंकवादियों की साजिश रचना, भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, उन्हें शरण देना (कुछ सीमित छूटों के साथ) और आतंकवादी गतिविधियों से प्राप्त संपत्ति या आय को अपने पास रखना अपराध घोषित करता है। ये प्रावधान आतंकवाद और संगठित अपराध को रोकने, उसकी जांच करने और उस पर मुकदमा चलाने के लिए भारत की कानूनी क्षमता को काफी मजबूत करते हैं।

शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 2019

शस्त्र संशोधन अधिनियम, 2019 ने अवैध शस्त्र नेटवर्क को निशाना बनाकर आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत किया। इस अधिनियम ने प्रतिबंधित शस्त्रों और गोला-बारूद की अवैध तस्करी, अवैध कब्जे, निर्माण, बिक्री और हस्तांतरण के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। साथ ही, सुरक्षा बलों से हथियार चोरी करने और संगठित अपराध गिरोहों में संलिप्तता के लिए भी गंभीर दंड निर्धारित किए गए। सीमा पार शस्त्र तस्करी पर रोक लगाकर और डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणालियों के माध्यम से आग्नेयास्त्रों की पता लगाने की क्षमता में सुधार करके, इस अधिनियम ने एक महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया जो देशभर में आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती है।

इन विधायी उपायों ने भारत की सुरक्षा और जांच एजेंसियों को उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक कानूनी उपकरण प्रदान किए हैं। इन सुधारों ने संस्थागत क्षमता को मजबूत किया है, इंटर-एजेंसी समन्वय में सुधार किया है और आतंकवाद का निर्णायक रूप से मुकाबला करने की क्षमता को बढ़ाया है।

दूसरा स्तंभ: नए भारत के लिए संस्थानों को सुदृढ़ बनाना

सशक्त संस्थाएँ एक प्रभावी राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे की रीढ़ होती हैं। पिछले बारह वर्षों में, भारत ने आतंकवादी खतरों का तेजी से पता लगाने, बेहतर समन्वय स्थापित करने और उनसे निपटने के लिए अपनी जाँच, खुफिया और कानून प्रवर्तन संस्थाओं के आधुनिकीकरण में निवेश किया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी - क्षमता संवर्धन

मुंबई आतंकी हमलों के बाद 2008 के राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम के तहत स्थापित की गई यह भारत की प्रमुख आतंक-विरोधी जांच एजेंसी है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और अभियोजन का दायित्व सौंपा गया है, जिनमें आतंकवाद, आतंकवादी गतिविधियों का वित्तपोषण, आतंकी संबंधों से जुड़े संगठित अपराध, साइबर आतंकवाद और भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले अन्य अपराध शामिल हैं।

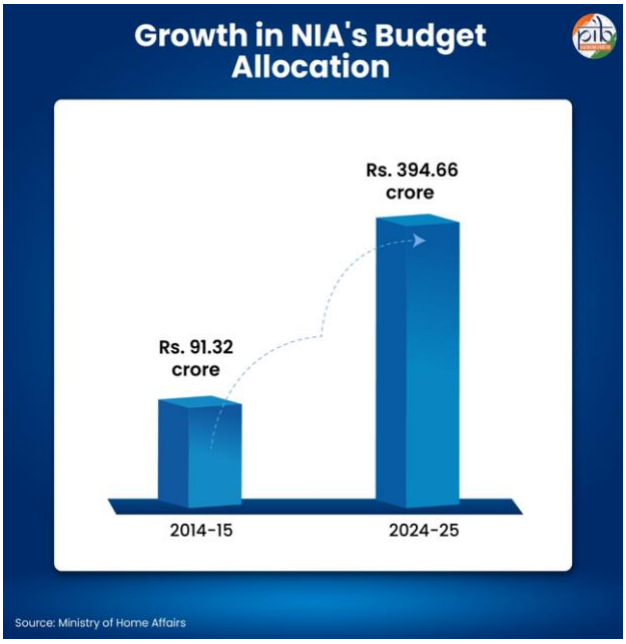

2014 से, सरकार ने एनआईए के जनादेश, परिचालन क्षमताओं और संस्थागत बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत किया है। एनआईए के बजट आवंटन में वृद्धि हुई है। **2014-15 में 91.32 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 394.66 करोड़ रुपये हो गया।** एक दशक में यह चार गुना से अधिक की वृद्धि है।

मुकदमों की प्रक्रिया में तेजी लाने और दोषसिद्धि दर में सुधार करने हेतु विशेष एनआईए न्यायालयों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क विकसित किया गया है।

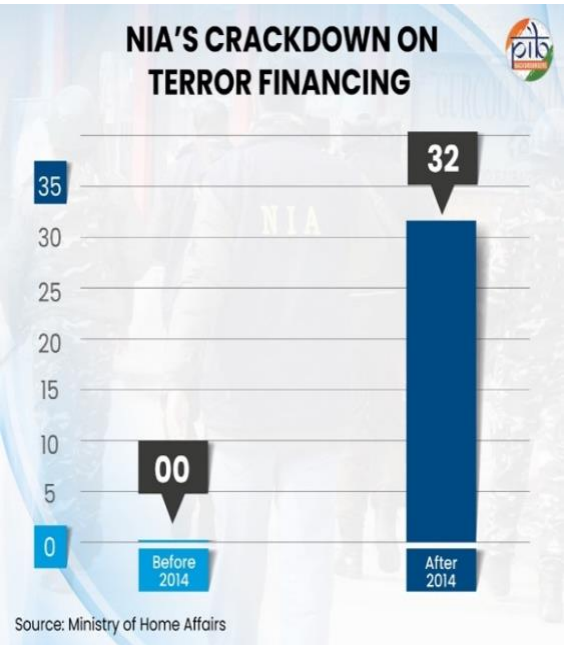

राज्यों में 47 और केंद्र शासित प्रदेशों में 6 ऐसे न्यायालय कार्यरत किये जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ एनआईए का विस्तार **देशभर में 21 शाखा कार्यालयों** के माध्यम से किया गया, जिनमें जम्मू और गुवाहाटी के क्षेत्रीय कार्यालय भी शामिल है। एनआईए द्वारा **2014 के बाद आतंकवाद के वित्तपोषण के 32 मामले दर्ज़ किए गए**, जबकि **2014 से पहले एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया था।**

क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है, **2019 से अब तक 108 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे 4,471 अधिकारियों को लाभ हुआ है।** स्थापना **राष्ट्रीय आतंकवाद डेटाबेस संलयन और विश्लेषण केंद्र (NTDFAC)** उन्नत विश्लेषण

के माध्यम से डेटा-संचालित जांच को बढ़ाया गया है, जबकि फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) के साथ घनिष्ठ समन्वय ने वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह और फोरेंसिक जांच को मजबूत किया है।

क्या आप जानते हैं: NIA अब एक विश्वस्तरीय प्रसिद्ध जांच एजेंसी के रूप में उभरी है, जिसका **दोषसिद्धि दर 92.70 प्रतिशत है जो** विश्वभर की आतंक-विरोधी एजेंसियों में सबसे उच्च स्थान पर है।

बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) और खुफिया एकीकरण

खुफिया ब्यूरो (IB) के अधीन कार्यरत बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) भारत में वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वय करने का सर्वोच्च प्लेटफॉर्म है। यह आतंकवाद-विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए खुफिया, सुरक्षा, रक्षा और कानून प्रवर्तन संगठनों सहित 28 केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को एक साथ लाता है। एमएसी को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित सहायक बहु-एजेंसी केंद्रों (SMAC) का सहयोग प्राप्त है, जो स्थानीय खुफिया जानकारी को संसाधित करते हैं और राज्य पुलिस तथा अन्य क्षेत्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करते हैं।

पिछले एक दशक में, MAC-SMAC नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत की खुफिया जानकारी साझा करने की प्रणाली को काफी मजबूती मिली है। यह प्रणाली अब दूरस्थ जिलों और परिचालन इकाइयों तक उन्नत अंतिम-छोर कनेक्टिविटी के साथ सुरक्षित, वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। हाल ही में, 500 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से इस नेटवर्क का एक बड़ा तकनीकी उन्नयन किया गया है। उन्नत हार्डवेयर अवसंरचना, तीव्र नेटवर्क क्षमताएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) से लैस विश्लेषणात्मक उपकरणों ने खुफिया आकलन और खतरे की पहचान की गति, सटीकता और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार किया है। इन प्रगति ने इंटर-एजेंसी समन्वय को मजबूत किया है और उभरते सुरक्षा खतरों को रोकने और उनसे निपटने की भारत की क्षमता को बढ़ाया है।

क्या आप जानते हैं:गृह मंत्रालय ने बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) ढांचे के अंतर्गत 22 जनवरी 2025 को साइबर बहु-एजेंसी केंद्र (CyMAC) की स्थापना की। CyMAC भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले साइबर सुरक्षा खतरों, साइबर जासूसी, उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग और अन्य साइबर जोखिमों से निपटने के लिए वास्तविक समय समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID)

NATGRID एक सुरक्षित खुफिया जानकारी साझा करने वाला प्लेटफॉर्म है जो आव्रजन, बैंकिंग, दूरसंचार और यात्रा रिकॉर्ड सहित कई सरकारी डेटाबेस को अधिकृत सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जोड़ता है। यह महत्वपूर्ण जानकारी तक रियल-टाइम पहुंच प्रदान करता है, जिससे एजेंसियों को संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने, आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने, वित्तपोषण के स्रोतों का पता लगाने और खुफिया जानकारी पर आधारित त्वरित जांच में सहायता मिलती है। विभिन्न स्रोतों से डेटा को एकीकृत करके, NATGRID भारत की आतंकवाद-विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है।

क्या आप जानते हैं: मार्च 2026 तक, NATGRID एक सुरक्षित खुफिया जानकारी साझा करने वाले मंच के माध्यम से 11 केंद्रीय उपयोगकर्ता एजेंसियों, सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों और 11 डेटा-प्रदान करने वाले संगठनों को जोड़ता है। यह NIA और राज्य ATS के बीच निर्बाध सूचना साझाकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस (OCND) भी विकसित कर रहा है। वहीं इसका उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरण GANDIVA आतंकवाद विरोधी और आपराधिक जांचों में सहायता के लिए बहु-स्रोत डेटा संग्रह और खुफिया विश्लेषण को सक्षम बनाता है।

अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS)

CCTNS को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया है, जिससे आपराधिक और आतंकी संदिग्धों से संबंधित डेटा को राज्यों के बीच साझा करना संभव हो गया है। इससे उन सूचनाओं के अवरोधों में काफी कमी आई है, जो पहले राज्यों की सीमाओं के पार समन्वित कार्रवाई को सीमित करते थे। भारतभर के सभी 17,798 पुलिस स्टेशनों को जोड़ने वाले AI-संचालित इकोसिस्टम के साथ CCTNS 2.0 का नया संस्करण वर्ष 2024 में लॉन्च किया गया था।

क्या आप जानते हैं?
देश की आतंक विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2021 से 2026 के बीच पुलिस और सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर 6,300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। **पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता (ASUMP) योजना**, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस बलों को आधुनिक हथियारों, निगरानी तकनीक, IED-रोधी उपकरणों, फोरेंसिक अवसंरचना और उन्नत संचार प्रणालियों से लैस करने के लिए 4,846 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही, **आधुनिकीकरण योजना-IV (1,523 करोड़ रुपये)** उन्नत निगरानी प्रणालियों और सुरक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की परिचालन तत्परता को बढ़ाया जा रहा है। ये निवेश खतरे का पता लगाने, खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और निष्क्रिय करने की क्षमता में सुधार करते हैं।

संस्थाओं को मजबूत करने से भारत की आतंकवाद-विरोधी व्यवस्था एक अधिक एकीकृत, प्रौद्योगिकी-आधारित और खुफिया जानकारी पर केंद्रित प्रणाली में परिवर्तित हो गई है। बेहतर समन्वय, उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं और आधुनिक प्रवर्तन तंत्रों ने सुरक्षा खतरों को रोकने, उनकी जांच करने और उनसे निपटने की राष्ट्र की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है।

तीसरा स्तंभ: सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अभियान — रणनीतिक सिद्धांत में परिवर्तन

दशकों से भारत को अपनी सीमाओं के पार से प्रायोजित और समर्थित लगातार सीमा पार आतंकवाद का सामना करना पड़ा है। 2014 से, देश ने आतंकवादी हमलों का जवाब देने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सैन्य सटीकता, रणनीतिक संकेत और राजनयिक उपायों को मिलाकर एक अधिक आक्रामक और निवारक-आधारित सुरक्षा नीति अपनाई है।

सर्जिकल स्ट्राइक 2016

29 सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भारत की आतंकवाद-विरोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उरी आतंकी हमले और नियंत्रण रेखा (LoC) के पार आतंकी लॉन्च पैडों से मिली विश्वसनीय खुफिया जानकारी के जवाब में, भारतीय सेना ने भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहे आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए सटीक हमले किए। इस ऑपरेशन

ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पूर्व-एंपटिव कार्रवाई करने की भारत की तत्परता को प्रदर्शित किया और आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने और उन्हें बढ़ावा देने वालों पर दंड लगाने के एक नए सिद्धांत की स्थापना की। इन हमलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए रणनीतिक संयम से हटकर एक सक्रिय और निवारक-आधारित दृष्टिकोण की ओर स्पष्ट बदलाव का संकेत दिया।

बालाकोट स्ट्राइक 2019

14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद, भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र पर सटीक हवाई हमला किया। आसन्न आतंकवादी हमलों से संबंधित विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, इस अभियान में आतंकवादी संरचनाओं और प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया गया और नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। बालाकोट हवाई हमले ने भारत की आतंकवाद-विरोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया और सीमा पार आतंकवाद के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के उसके संकल्प को प्रदर्शित किया।

ऑपरेशन सिंदूर, 2025

अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में, भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में स्थित आतंकवादी ढाँचे को निशाना बनाना था। इस ऑपरेशन ने आतंकवादी खतरों के स्रोत पर ही कार्रवाई करने के भारत के संकल्प को प्रदर्शित किया। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार आतंकवाद के प्रति त्वरित, सटीक और आनुपातिक प्रतिक्रियाओं की भारत की नीति को और मजबूत किया।

इन अभियानों ने सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में एक मौलिक बदलाव ला दिया। एक स्पष्ट सिद्धांत स्थापित किया कि आतंकवादी हमलों के परिणामस्वरूप त्वरित, सुनियोजित और बहुआयामी कार्रवाई की जाएगी, जिससे आतंकवाद को रोकने की क्षमता मजबूत होगी और अपने नागरिकों और संप्रभुता की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और भी पुष्ट होगी।

चौथा स्तंभ: बहुपक्षीय और कूटनीतिक आतंक-विरोधी संरचना

आतंकवाद एक अंतरराष्ट्रीय खतरा है जिसे केवल घरेलू कार्रवाई से नहीं हराया जा सकता। पिछले एक दशक में, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति बनाने, आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्क को बाधित करने और सुरक्षा एवं न्याय के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सशक्त कूटनीति को बहुपक्षीय भागीदारी के साथ जोड़ा है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)

एफएटीएफ धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने के लिए विश्व का प्रमुख अंतर-सरकारी निकाय है। 2010 में सदस्य बनने के बाद से, भारत ने आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने और राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए एफएटीएफ प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग किया है।

भारत ने आतंकवादियों को वित्तीय सहायता रोकने में पाकिस्तान की कमियों को लगातार उजागर किया है, जिससे उसके क्षेत्र से संचालित होने वाले आतंकवादी नेटवर्कों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित हुई है। साथ ही, भारत ने घरेलू स्तर पर धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी उपायों को मजबूत किया है और आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्कों को बाधित करने के वैश्विक प्रयासों में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। सरकार ने गृह मंत्रालय में आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम प्रकोष्ठ (सीएफटी प्रकोष्ठ) का गठन किया है, जो धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण संबंधी मुद्दों से निपटने वाली अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के साथ समन्वय स्थापित करेगी।

आतंकवाद पर 'नो मनी फॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

अप्रैल 2018 में पेरिस में शुरू हुआ और नवंबर 2019 में मेलबर्न में जारी रहा 'नो मनी फॉर टेरर' (NMFT) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। मेलबर्न सम्मेलन में, राज्य मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) को शीघ्र अपनाने का आह्वान किया और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) मानकों के निष्पक्ष और गैर-राजनीतिक प्रवर्तन की वकालत की।

भारत ने मेजबानी की **तीसरी कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में (18-19 नवंबर 2022)** सरकार ने भारत की छह-स्तंभ वाली आतंकवाद-वित्तपोषण विरोधी रणनीति, सुदृढ़ कानून और निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करना, संपत्ति ज़ब्ती, नई प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग पर अंकुश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को रेखांकित किया। इसने संशोधित यूएपीए, सुदृढ़ NIA और पुनर्गठित वित्तीय खुफिया जानकारी पर भी प्रकाश डाला।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT)

भारत ने मूल रूप से नवंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) का प्रस्ताव रखा था और आतंकवाद के खिलाफ एक सार्वभौमिक कानूनी ढांचा स्थापित करने के लिए इसे शीघ्र अपनाने का आह्वान करता रहता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को नामित करना

एक दशक से अधिक समय तक चीन के वीटो के बाद, भारत ने मई 2019 में JeM के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में सफलता प्राप्त की। यह एक ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत थी जिसने अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों, संपत्ति ज़ब्ती और हथियार प्रतिबंधों को संभव बनाया।

तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण (2025)

26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जिससे एनआईए को हमले के पीछे की पूरी साजिश की नए सिरे से जांच करने में मदद मिली।

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आतंक-विरोधी सहयोग

भारत के 27 देशों और 5 बहुपक्षीय मंचों (SCO, BIMSTEC, BRICS, यूरोपीय संघ (EU), QUAD-CTWG) के साथ आतंक विरोधी संयुक्त कार्य समूह (JWG-CT) पूरी तरह से कार्यरत हैं; और ट्यूनीशिया के साथ एक स्वतंत्र संवाद भी है।

क्या आप जानते हैं? भारत ने प्रमुख साझेदारों के साथ समर्पित संयुक्त कार्य समूहों (JWG) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आतंक-विरोधी सहयोग को और मजबूत किया। 2024 में, भारत ने वाशिंगटन डी.सी. में आतंकवाद-विरोधी विषय पर अपना 20वां भारत-अमेरिका संयुक्त कार्य समूह और नई दिल्ली में अपना 16वां भारत-ब्रिटेन संयुक्त कार्य समूह आयोजित किया। इन वार्ताओं में आतंकवाद के वित्तपोषण, सीमा पार आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथ और प्रौद्योगिकी से संबंधित उभरते सुरक्षा खतरों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इंटरपोल के साथ समन्वय

BHARATPOL पोर्टल इसे 7 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। यह CBI (भारत के लिए इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में) को भारत में सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियार, साइबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी, बाल पोर्नोग्राफी और आतंकवाद सहित कई क्षेत्र शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं?

आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने पर दिल्ली घोषणा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-विरोधी समिति (CTC) द्वारा 29 अक्टूबर 2022 को मुंबई और नई दिल्ली में आयोजित विशेष बैठक में, भारत की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से अपनाया गया था।

इस घोषणापत्र में तीन प्रमुख खतरे वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।**मानवरहित हवाई प्रणालियों (ड्रोन) का दुरुपयोग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का आतंकवादी शोषण, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भुगतान प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।**और डिजिटल चैनलों के माध्यम से आतंकवाद का वित्तपोषण करना।

इसमें सदस्य देशों को डिजिटल आतंकवाद के खतरे से निपटने में सहायता करने के लिए गैर-बाध्यकारी मार्गदर्शक

सिद्धांतों का एक ढांचा निर्धारित किया गया और उभरती प्रौद्योगिकियों के आतंकवादी दुरुपयोग से निपटने के लिए सिफारिशें तैयार करने का आदेश दिया गया। घोषणापत्र में भारत के इस दीर्घकालिक रुख की पुष्टि की गई कि आतंकवाद अपने सभी रूपों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है।

भारत के राजनयिक प्रयासों ने आतंकवाद-विरोधी गतिविधियों को वैश्विक प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है और आतंकवादी तत्वों और उनके प्रायोजकों के लिए अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही को मजबूत किया है। बहुपक्षीय मंचों और रणनीतिक साझेदारियों में निरंतर भागीदारी के माध्यम से, भारत वैश्विक आतंकवाद-विरोधी एजेंडा को आकार देने में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

बारह वर्षों के सुधारों के परिणाम – बढ़ता विश्वास, अधिक सुरक्षा

निरंतर बहुआयामी कदमों और समग्र आतंक-विरोधी उपायों के चलते केंद्र सरकार पिछले 12 वर्षों में आंतरिक सुरक्षा वातावरण को मजबूत करने और 140 करोड़ भारतीयों के बीच विश्वास बढ़ाने में सफल रही है। 2014 से लागू किए गए उपायों ने हर मोर्चे पर स्पष्ट परिणाम दिए हैं। देश में आतंकी हमलों और उग्रवादी घटनाओं में कमी आई है, नागरिकों और सुरक्षा बलों की हताहतों की संख्या में भारी गिरावट आई है और विकास की गति फिर से तेज हुई है।

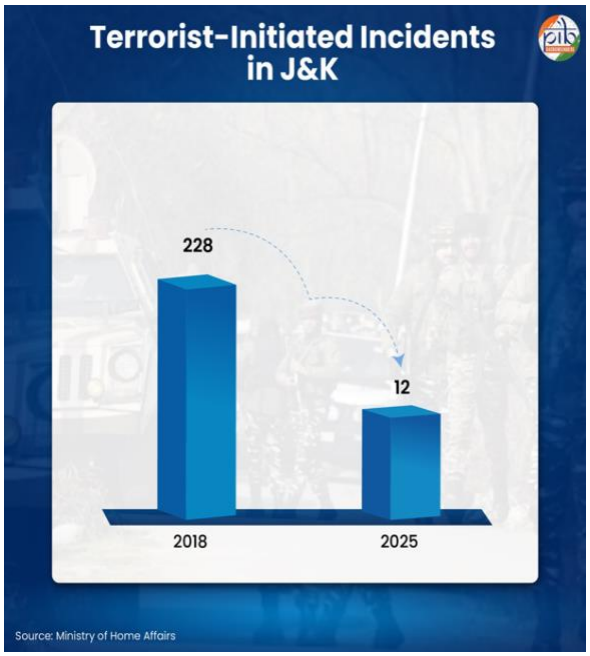

अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद, **जम्मू और कश्मीर** पिछले एक दशक में सुरक्षा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। **आतंकवादी घटनाओं में 2004-2014 के दौरान 7,217 की तुलना में 2014-2024 के दौरान 2,242 की कमी आई।**। इसके अतिरिक्त, **आतंकवादी हमलों से जुड़ी घटनाओं में भी भारी गिरावट आई है, जो 2018 में 228 से घटकर 2025 में मात्र 12 रह गई हैं।** यह भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति की बढ़ती प्रभावशीलता और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली को दर्शाता है।

हताहत नागरिक आतंकी घटनाओं से संबंधित मृत्यु संख्या 2018 में 55 से घटकर 2025 में 28 हो गई। **सुरक्षा बलों की मौतें** इसमें और भी तेज़ी से गिरावट आई, जो 2018 में 91 से घटकर 2025 में मात्र 16 रह गई, यानी 82 प्रतिशत से अधिक की कमी। दीर्घकालिक रुझान भी उतना ही महत्वपूर्ण है: जहां 2004 और 2014 के बीच 1,060 सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवाई, वहीं 2015 और 2025 के बीच यह संख्या घटकर 542 रह गई, जो आतंकवाद विरोधी अभियानों और बल सुरक्षा उपायों की बढ़ती प्रभावशीलता को दर्शाती है।

पत्थरबाजी की घटनाएं, जो 2010 से 2014 के बीच औसतन प्रतिवर्ष लगभग 2,654 थीं, 2020 तक 87 प्रतिशत से अधिक कम हो गईं और 2022 से लगभग शून्य बनी हुई हैं। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार से जम्मू और कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों और जनजीवन में पुनर्जीवन संभव हुआ है। इस प्रगति को दर्शाते हुए, लगभग 80,000 करोड़ रुपये की 63 प्रमुख विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 51,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा चुका है और 53 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

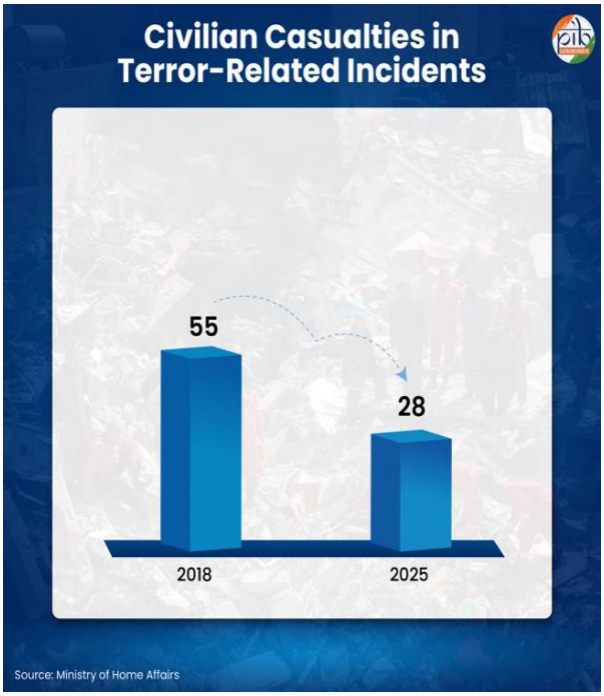

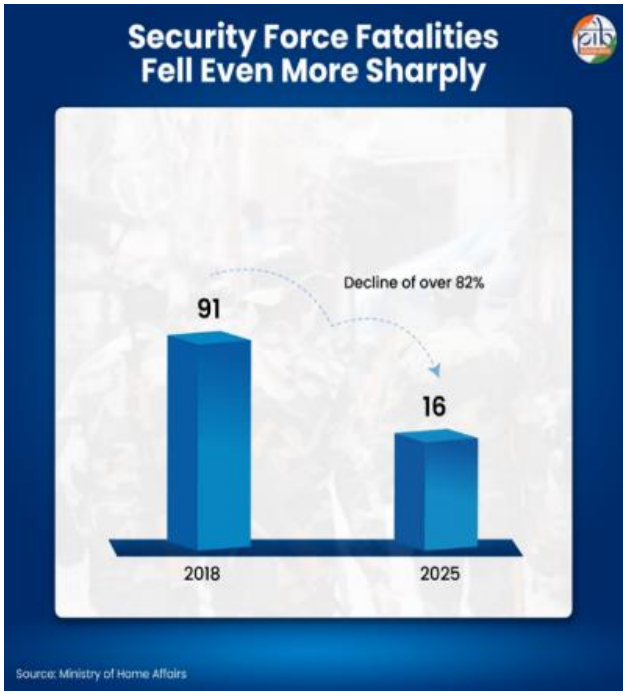

जम्मू और कश्मीर में जनजीवन में उल्लेखनीय रूप से सामान्य स्थिति लौट आई है। संगठित हड़तालों और बंद की संख्या 2018 में 52 घटनाओं से घटकर 2023 से अप्रैल 2026 तक शून्य हो गई है। बेहतर स्थिरता ने रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया है, जिसके तहत 2019 से मई 2026 के बीच 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां सृजित की गईं और पिछले चार वर्षों में ही स्वरोजगार योजना के तहत 9.81 लाख से अधिक व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए।

जम्मू और कश्मीर में 2024 में 2.3 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जो इसके इतिहास में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। आगंतुकों की यह अभूतपूर्व आमद क्षेत्र के सुरक्षा माहौल में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है और जमीनी स्तर पर शांति, स्थिरता और सामान्य स्थिति के सबसे स्पष्ट संकेतकों में से एक है।

हाल के वर्षों में जम्मू और कश्मीर में निवेश प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां इस क्षेत्र ने सात दशकों में लगभग 8,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया, वहीं 2016-17 और 2025-26 के बीच ही लगभग 18,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ, जो निवेशकों के बढ़ते विश्वास और बेहतर कारोबारी माहौल को दर्शाता है।.

आंतरिक इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों में कमी - पूर्व-निवारण के माध्यम से रोकथाम

भारत के आंतरिक इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों में पिछले एक दशक में काफी कमी आई है। इसका एक प्रमुख कारण प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से सक्रिय रोकथाम की ओर बदलाव रहा है। मजबूत खुफिया नेटवर्क से खतरों का पता लगाने में सुधार हुआ है। विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से त्वरित कार्रवाई संभव हो पाई है। प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और लक्षित अभियानों ने आतंकी साजिशों को अंजाम देने से पहले ही नाकाम करने में मदद की है। इस निवारक दृष्टिकोण ने शहरी केंद्रों में सुरक्षा को मजबूत किया है और बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान वाले हमलों के जोखिम को कम किया है।

2013 के हैदराबाद धमाकों के बाद के दशक में बड़े शहरी आतंकवादी हमलों की लगभग पूरी तरह से अनुपस्थिति रही। यह पिछले दशक के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें संसद पर हमला, मुंबई ट्रेन बम विस्फोट, हैदराबाद धमाके और 26/11 हमले जैसी घटनाएं हुईं। NIA और राज्य खुफिया एजेंसियों की समयबद्ध कार्रवाई से ISIS से प्रेरित कई साजिशों को नाकाम किया गया। इन अभियानों ने भारत की खुफिया-आधारित आतंकवाद-विरोधी रणनीति की बढ़ती प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया।

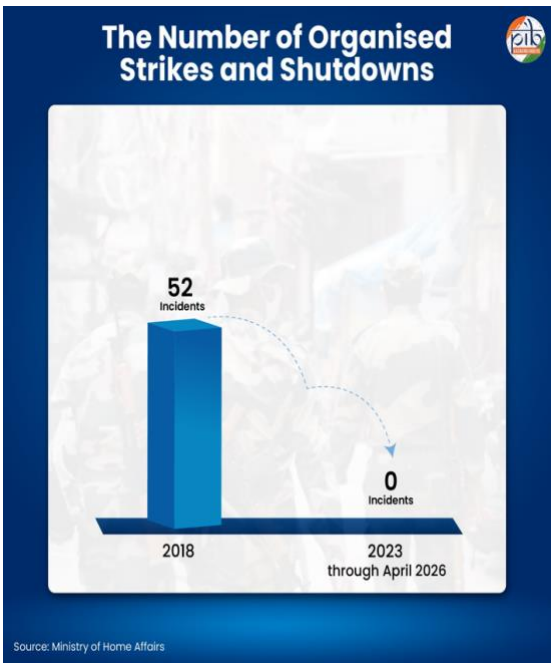

परिणामस्वरूप, 2014 से 2018 के बीच भीतरी इलाकों में आतंकवादी हमले बहुत कम रहे, केवल छिटपुट घटनाएं ही दर्ज की गईं। यह निरंतर गिरावट देशभर में बेहतर निवारक क्षमताओं और मजबूत सुरक्षा समन्वय को दर्शाती है।

वर्ष	आतंकी हमलों की संख्या	मारे गए नागरिकों की संख्या	कार्रवाई में मारे गए सुरक्षाकर्मियों की संख्या
2014	03	04	--
2015	01	03	04
2016	01	01	07
2017	--	--	--
2018	01	03	--

निरंतर सुधारों और समग्र सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से, भारत ने आंतरिक सुरक्षा को काफी मजबूत किया है। आतंकी घटनाओं, उग्रवादी हिंसा और हताहतों की संख्या में भारी कमी आई है। संस्थागत क्षमता में वृद्धि से सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार हुआ है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है और शासन में नागरिकों का विश्वास मजबूत हुआ है।

निष्कर्ष

पिछले बारह वर्षों में, भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के मार्गदर्शन में अपनी आतंकवाद-विरोधी संरचना में व्यापक परिवर्तन किया है। सरकार ने कानूनी ढाँचे को मजबूत किया है, जाँच संस्थानों का आधुनिकीकरण किया है और खतरों का समय पर पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए इंटर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA),(IB) और राज्य पुलिस बलों जैसी एजेंसियों को उन्नत प्रौद्योगिकी, विस्तारित अधिकार क्षेत्र और बेहतर फोरेंसिक एवं खुफिया क्षमताओं से सशक्त बनाया गया है। रीयल-टाइम डेटा एकीकरण प्लेटफॉर्म और उन्नत संचार प्रणालियों ने परिचालन दक्षता में और सुधार किया है। साथ ही, राजनयिक और बहुपक्षीय प्रयासों ने आतंकी नेटवर्क के वित्तपोषण और सीमा पार खतरों के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत किया है। इन निरंतर प्रयासों से आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, आंतरिक सुरक्षा में सुधार हुआ है और जनता का विश्वास बढ़ा है। यह दृष्टिकोण

प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से सक्रिय रोकथाम की ओर बदलाव को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश में उभरती चुनौतियों के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा लचीली, अनुकूलनीय और भविष्य के लिए तैयार बनी रहे और लचीलापन लगातार मजबूत होता रहे।

संदर्भ

गृह मंत्रालय (MHA)

- https://www.mha.gov.in/sites/default/files/PRAHAAREnglish_23022026.pdf
- https://www.mha.gov.in/en/page/individual-terrorists-under-uapa
- https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-08/THENATIONALINVESTIGATIONAGENCYACT2008_03032020%5B1%5D.pdf
- https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-10/TheArmsAmendmentAct2019%5B1%5D.pdf
- https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250883_english_01042024.pdf
- https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AREnglish_24032026.pdf
- https://www.mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2025-pdfs/LS04022025/252.pdf
- https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2023-03/NE_Insurgency_profile.pdf
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113902&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149811&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1999556&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=151186&ModuleId=2&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2039065&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2197532&reg=3&lang=1
- https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2082757&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2141356&reg=3&lang=2

- https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2083245&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2083243&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2238241&reg=3&lang=1
- https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1567516&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2149811&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2113902&reg=3&lang=2#:~:text=Vishwakarma%20Yojana%2C%205%2C184%20youth%20clubs,crore%20worth%20of%20investment%20has
- https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2113902&reg=3&lang=2#:~:text=Shri%20Amit%20Shah%20stated%20that,He%20further%20said%20that%20by
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146397&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1921679&reg=3&lang=2#:~:text=Several%20peace%20accords%20have%20also,Thedisturbed%20areas%20under%20Armed%20Forces
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2086818&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113902&reg=3&lang=2#:~:text=Shri%20Amit%20Shah%20said%20that,from%20the%20Government%20of%20India
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2042124&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2226448&lang=1&reg=3&utm
- https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2128748&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1547615
- https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1575578&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1575752&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=124781&reg=3&lang=2
- pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1875394
- pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1590829
- pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1875394
- pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1876948
- pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1876940
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1498467&reg=48&lang=2

रक्षा मंत्रालय

- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200966&reg=3&lang=1
- https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2129141&reg=3&lang=2
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1547615&reg=3&lang=2

विदेश मंत्रालय (MEA)

- https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/34538/Thirteen+years+of+seeking+justice+for+the+victims+of+2611+Mumbai+terror+attacks
- https://www.mea.gov.in/media-briefings?dtl/27446/Transcript_of_Joint_Briefing_by_MEA_and_MoD_September_29_2016
- https://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/31090/Statement+by+Foreign+Secretary+on+26+February+2019+on+the+Strike+on+JeM+training+camp+at+Balakot
- https://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/31233/official+spokespersons+response+to+media+query+on+chinas+lifting+the+hold+on+terrorist+designation+of+masood+azhar+by+the+1267+sanctions+committee+of+the+un
- https://www.mea.gov.in/bilateral-documents?dtl/37682
- https://www.mea.gov.in/press-releases?dtl/37823/16th_Meeting_of_IndiaUK_Joint_Working_Group_on_Counter_Terrorism
- https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35840/Delhi_Declaration_on_countering_the_use_of_new_and_emerging_technologies_for_terrorist_purposes

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)

- https://nia.gov.in/uapa
- https://nia.gov.in/nia-secures-successful-extradition-2611-mumbai-terror-attack-mastermind-tahawwur-rana-us

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

- https://enforcementdirectorate.gov.in/acts-and-rules/pmla/

- **पीआईबी ग्लोबल अफेयर्स**
- https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154898&ModuleId=3&reg=3&lang=2

- **संयुक्त राष्ट्र**
- https://www.un.org/en/ga/sixth/79/pdfs/statements/int_terrorism/04mtg_india.pdf

पीआईबी रिसर्च

पीके/केसी/जेएस